



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022022-233258
CG-DL-E-09022022-233258

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 520]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 2022/माघ 20, 1943

No. 520]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2022/MAGHA 20, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2022

का.आ. 539(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 के 142.400 कि.मी. से 212.100 कि.मी. तक के भू-खण्ड (गुडगांव-जयपुर सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिये वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उस भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली जयपुर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08 के 142.400 कि.मी. से 212.100 कि.मी. तक (गुडगांव-जयपुर खण्ड) के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: जयपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: कोटपूतली					
गांव का नाम: शेखूपुर					
1	157	निजी	बारानी २	0.0250000(हेक्टेयर)	0.0250000
कुल				0.0250	0.0250

[फा. सं. NHAI/MC-II/Phase-V/LA/Jaipur/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2022

S.O. 539(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section of 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/six laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 8, in the stretch of land from Km 142.400 to Km 212.100 (Gurgaon–Jaipur Section) in the district of Jaipur in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty–one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every, such objection shall be made to the competent authority, namely, the Additional District Magistrate, Kotputli in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, as the competent authority thinks necessary, by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act Shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km 142.400 to km 212.100 (Gurgaon-Jaipur section) of the National Highway No. 8 in the state of Rajasthan

State: RAJASTHAN		District: JAIPUR			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Kotputli					
Village: Shekhupur					
1	157	Private	Barani 2	0.0250000(Hectare)	0.0250000
Total				0.0250	0.0250

[F. No. NHAI/MC-II/Phase-V/LA/Jaipur/3A]

RAJESH GUPTA, Director